The Chhattisgarh Nagariya Kshetron ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron ka Pradan Kiya Jana) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2003

Act 7 of 2003

Keyword(s):
Landless Person, Right in land

Amendments appended: 5 of 2019, 12 of 2019

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 7 of 2003)

THE CHHATTISGARH NAGARIYA KSHETRON KE BHUMIHIN VYAKTI (PATTADHRITI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2003

An Act further to amend the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) (Sanshodhan) Vidheyak, 2003 (No. 7 of 2003).

(2) It shall come into force on such date on which the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Amendment of Section 3 (1) and (2).

2. In Sub-section (1) and (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (No. 19 of 1998) the following Sub-section shall be substituted, namely :—

(i) In Sub-section (1) of Section 3 for words "31st May, 1998", the words " 19th November, 2002" shall be substituted.

(ii) In Sub-section (2) of Section 3 for words "31st May, 1998", the words "19th November, 2002" shall be substituted.

Amendment of Section 4 (2).

In Sub-section (2) of Section 4 of the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (No. 19 of 1998) the following Sub-section shall be substituted, namely :—

(i) In Sub-section (2) of Section 4 for words "31st May, 1998" the words "19th November, 2002" shall be substituted.

[illegible] मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, [illegible] से मुद्रित तथा प्रकाशित — 2003.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133] रायपुर, शनिवार, दिनांक 4 मई 2019 — वैशाख 14, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 4 मई 2019

क्रमांक 4513/डी. 95/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-03-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 5 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (घ-6) का लोप किया जाये.

धारा 3 का संशोधन.

3. (1) मूल अधिनियम में, धारा 3 में,-

(क) उप-धारा (1) तथा (2) में, शब्द और अंक "19 नवम्बर, 2002" के स्थान पर, शब्द और अंक "19 नवम्बर, 2018" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उप-धारा (2) में, परंतुक में, शब्द "राजभोगी नगरों" के स्थान पर, शब्द "रायपुर" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ग) उप-धारा (3) में, पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(घ) उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि दिनांक 19 नवंबर, 2002 तक अधिभोगित भूमि पर पट्टाधृति अधिकार, जो किसी भी समय प्रदत्त किये गये हों, का अंतरण उप-पट्टे अधिकार, विक्रय, दान एवं बंधक के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकेगा तथा इसका भू-अभिलेख में हस्तांतरण एवं नामान्तरण हो सकेगा."

नवीन धारायें 3-ख, 3-ग तथा 3-घ का अंत:स्थापन.

4. मूल अधिनियम में, धारा 3-क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"3-ख. नियमितिकरण.- धारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि प्राधिकृत अधिकारी यह पाता है कि कब्जाधारी, जिसे अधिनियम के अधीन पट्टा प्रदत्त किया गया है, के वास्तविक कब्जे की भूमि, उसके पक्ष में मूल रूप से की गई व्यवस्थापन (सेटलमेंट) से अधिक है, तो ऐसी आधिक्य भूमि भी व्यवस्थापित की जा सकेगी तथा ऐसे परिवर्तित भू-उपयोग का निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उसके पक्ष

में नियमितिकरण किया जा सकेगा :-

(क) इस धारा के अधीन शिथिलीकरण के लिये केवल ऐसे प्रकरण ग्रहित किये जायेंगे, जिसमें मूल पट्टाधृति, 19 नवम्बर, 2018 को या इसके पूर्व प्रदान किया गया हो;

(ख) कब्जे के अधीन आधिक्य भूमि, व्यवस्थापित मूल भूमि के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये;

(ग) यदि कब्जे के अधीन आधिक्य भूमि, मूल भूमि के पचास प्रतिशत से अधिक है, तो कब्जाधारी, सर्वप्रथम पचास प्रतिशत की आधिक्य भूमि पर किये गये कब्जे को रिक्त करेगा;

(घ) ऐसी आधिक्य भूमि, मूल भूमि से जुड़ी हुई होनी चाहिए ;

(ङ) भूमि उपयोग से प्रचलित मास्टर प्लान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए;

(च) नियमितिकरण की जाने वाली आधिक्य भूमि के पट्टे के लिये प्रभारित दरें ऐसी होंगी, जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाये.

(छ) इस धारा के अधीन नियमितिकरण की जाने वाली आधिक्य भूमि के संबंध में, धारा 3 की उप-धारा (2) के परंतुक में विनिर्दिष्ट सीमाओं में पचास प्रतिशत वृद्धि की जायेगी, अर्थात् नगर पंचायत वाली शहरों के लिए 1000 वर्गफुट के स्थान पर 1500 वर्गफुट, नगरपालिका वाली शहरों के लिए 800 वर्गफुट के स्थान पर 1200 वर्गफुट, रायपुर के अलावा अन्य नगर पालिक निगम वाली शहरों के लिए 700 वर्गफुट के स्थान पर 1050 वर्गफुट, तथा रायपुर के लिए 600 वर्गफुट के स्थान पर 900 वर्गफुट लागू होगी.

3-ग. पट्टे का नवीनीकरण.- इस अधिनियम के अधीन पट्टाधृति अधिकार, धारा 6 के अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत ऐसी अवधि, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये, के लिए प्रदाय किये जायेंगे तथा ऐसे पट्टाधृति अधिकार की अवधि की समाप्ति पर, इसका नवीनीकरण ऐसी और अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर, जैसा कि धारा 6 के अधीन बनाये गये नियमों में विहित किया जाये, किया जा सकेगा.

3-घ. विक्रय पर निर्बंधन.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन भूमि पर पट्टाधृति अधिकार प्रदान किया गया हो, को ऐसी भूमि का आंशिक या पूर्ण रूप से अंतरण का अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने की तारीख से दस वर्ष पूर्ण नहीं हो गये हो. अंतरण के पंजीयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाये :

परंतु यह कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पट्टे पर प्रदत्त भूमि का विक्रय करता हो, तो वह और/या उसका परिवार, स्वयंमेव किसी भी अन्य भूमि पर पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने की पात्रता तदुपरांत खो देगा.

टीप - "परिवार" से अभिप्रेत है पति, पत्नी, आश्रित बच्चे एवं माता-पिता."

5. मूल अधिनियम में, धारा 4 में, उप-धारा (2) में, शब्द और अंक "19 नवम्बर, 2002" के स्थान पर, शब्द और अंक "19 नवम्बर, 2018" प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 4 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम में, धारा 6 में, उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 6 का संशोधन.

"(1) राज्य सरकार, प्रीमियम तथा भू-भाटक से संबंधित विषयों को सम्मिलित करते हुए, इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी."

अटल नगर, दिनांक 4 मई 2019

क्रमांक 4513/डी. 95/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4-5-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 5 of 2019)

THE CHHATTISGARH NAGARIYA KSHETRO KE BHOOMIHIN VYAKTI (PATTADHRITI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Nagariya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Nagariya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Chhattisgarh Nagariya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984), (hereinafter referred to as the Principal Act), clause (d-6) of Section 2 shall be omitted.

Amendment of Section 3.

3. (1) In the Principal Act, in Section 3,-

(a) in sub-section (1) and (2), for the word and figures "19th November, 2002", the word and figures "19th November, 2018" shall be substituted, respectively;

(b) in sub-section (2), in proviso, for the words "Rajbhogi cities", the word "Raipur" shall be substituted;

(c) in sub-section (3), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(d) after sub-section (3), the following shall be added, namely :-

"Provided further that lease-hold rights granted at any time over land under occupation up to 19th day of November, 2002 can be transferred through sub-lease rights, sale, gift and mortgage or other means and it can be made for transfer or change of name in land records."

Insertion of New Sections 3-B, 3-C and 3-D.

4. In the Principal Act, after Section 3-A, the following shall be added, namely :-

"3-B. Regularization.- Notwithstanding anything contained in Section 3, if the Authorised Officer finds that the land actually occupied by an occupier who has been granted lease under the Act, is in excess of the settlement originally

made in his favour, then such excess land may also be settled and such changed land-use may be regularized in his favour subject to the following conditions :-

(a) Only such cases where the original lease was granted on or before 19th day of November, 2018 shall be entertained for relaxation under this Section;

(b) The excess land under occupation should not exceed fifty percent of the original land settled;

(c) In case the excess land under occupation is more than fifty percent of the original land, the occupier will have to first clear the encroachment on land in excess of fifty percent;

(d) Such excess land must be contiguous to the original land;

(e) The land use must not be violative of the current Master Plan;

(f) The rate to be charged for lease on the excess land being regularized shall be as may be prescribed by rules;

(g) In respect of the excess land being regularized under this Section, the ceilings specified in proviso to sub-section (2) of Section 3, shall be increased by fifty percent, namely, 1500 sft in place of 1000 sft for Nagar Panchayat towns, 1200 sft in place of 800 sft for Municipality towns, 1050 sft in place of 700 sft for other Municipal Corporation towns other than Raipur, and 900 sft in place of 600 sft for Raipur, shall be applicable.

3-C. Renewal of Lease.- The lease rights shall be granted under this Act in terms of rules framed under Section 6, for such period as the Government may prescribe and on completion of the lease term, it may be renewed for such further period and on such conditions as may be prescribed in the rules framed under Section 6.

3-D. Restriction on Sale.- Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, no person who has been granted lease over land under this Act shall be entitled to transfer such land, in part or in whole, before expiry of ten years from the date of grant of lease. Procedure of the registration of transfer shall be such as may be prescribed :

provided that if a person chooses to sell the land granted on lease under this Act, he and/or his family shall forthwith forfeit all eligibility for being granted lease over any other land at any time thereafter.

Note - "Family" means husband, wife, dependent children and mother-father"

5. In the Principal Act, in Section 4, in sub-section (2), for the word and figure "19th November, 2002", the word and figures "19th November, 2018" shall be substituted. **Amendment of Section 4.**

6. In the Principal Act, in Section 6, for sub-section (1), for the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 6.**

"(1) The State Government may make rules to carry out all or any of the purposes of this Act including matters relating to premium and ground rent."

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547] रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त 2019 — भाद्रपद 9, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2019

क्रमांक 8867/डी. 154/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16-08-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मूल अधिनियम की उद्देशिका में संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, उद्देशिका में, शब्द "पट्टाधृति अधिकार" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह "तथा कतिपय प्रकरणों में, पट्टाधृति अधिकार के स्थान पर भूमि-स्वामी अधिकार" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 2 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(कक) 'भूमि-स्वामी अधिकार' का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) और समय समय पर यथा संशोधित में, परिभाषित है;"

नवीन धारा 3-ङ का अन्त:स्थापन.

4. मूल अधिनियम में, धारा 3-घ के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"3-ङ कतिपय प्रकरणों में पट्टाधृति अधिकार को भूमि-स्वामी अधिकार में परिवर्तित करना.- इस अधिनियम में दी गई किसी विपरीत बात के होते हुए भी, भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति से इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त किये जाने पर, पट्टाधृति अधिकार को भूमि-स्वामी अधिकार में, ऐसे निर्बंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये, आवेदक के नाम से, परिवर्तित किया जा सकेगा."

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2019

क्रमांक 8867/डी. 154/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-08-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 12 of 2019)

THE CHHATTISGARH NAGARIYA KSHETRO KE BHOOMIHIN VYAKTI (PATTADHRITI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Nagariya Kshetro ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Nagariya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment to the preamble in the Principal Act.

2. In Chhattisgarh Nagariya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984), (hereinafter referred to as the Principal Act), in preamble, after the words "leasehold rights on landless persons", the words and punctuations "and in certain cases, conversion of the leasehold rights to freehold rights" shall be inserted.

Amendment of Section 2.

3. (1) In Section 2 of the Principal Act, after clause (a), the following shall be added, namely :-

"(aa) "Bhumi Swami Rights" shall have the same meaning as defined under Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and as amended from time to time;"

Insertion of New Section 3-E.

4. In the Principal Act, after Section 3-D, the following shall be added, namely :-

"3-E. Conversion of Leasehold Rights to Bhumiswami Rights in Certain Cases.- Notwithstanding anything contained contrary in this Act, on receiving the application by the authorized officer from the person in possession of the land, for this purpose, the leasehold rights may be converted in Bhumiswami rights in favour of the applicant on such terms and conditions as may be prescribed by the Government."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.